न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–83/2023

CIS No.-TS 83/2023

सोबराती मियॉ.....वादी

बनाम

हसन मियॉ.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
19.08.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक 30.05.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 19.08.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में टंकक की गलती से चंद दस्तावेज सं0, दिनांक तथा चौहद्दी गलत अंकित हो गया है, जिसे न्यायहित में सुधारना अत्यंत आवश्यक है। (1) वाद पत्र के पैरा नं0–01 में बैयनामा दस्तावेज सं0–201 दिनांक 03.08.1954 गलती से टाईप हो गया है, जिसका सही तिथि 28 मार्च, 1962 है। (2) बैयनामा दस्तावेज सं0–201 दिनांक– 28 मार्च 1962 मोहबली मियाँ बनाम एलाउद्दीन मियाँ का मूल दस्तावेज जो ऊर्दू लिपि में है। हिन्दी अनुवाद सहित न्यायालय के अवलोकन के लिए दिनांक 05.03.2024 को फ्री सबुत के साथ दाखिल है। वाद पत्र के आधार पर फ्री सबुत में दस्तावेज सं0–201 दिनांक 03.05.1954 दर्ज हो गया है जिसे 28 मार्च 1962 होना चाहिए। (3) वाद पत्र के पारा सं0–05 में भी दस्तावेज सं0–201 दिनांक–03.05.1954 दर्ज हो गया है जिसे दस्तावेज सं0–201 दिनांक 28 मार्च 1962 होना चाहिए। (4) वाद पत्र के पारा सं0–08 में दस्तावेज सं0–201 दिनांक–01.05.1954 दर्ज हो गया है, जिसे 28 मार्च 1962 होना चाहिए। (5) टंकक की गलती से वाद पत्र के अनुसूची–01 में वादग्रस्त भूमि की चौहद्दी गलत दर्ज हो गया है, जिसका सुधार न्यायहित में आवश्यक है। जिसका सही चौहद्दी उ0–नहर, द0–एजाजुल मियाँ व नुरमहम्मद अंसारी पू0–शिवनारायण चौरसिया तथा प0 हदीश मियाँ है। (6) वाद पत्र के पारा नं0–17 में बैयनामा दस्तावेज सं0–201 दिनांक 03.05.1954 दर्ज हो गया है जिसे दिनांक 28 मार्च 1962 होना चाहिए। यह संशोधन आवेदन महज औपचारिक है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं नहीं प्रतिवादीगण को कोई क्षति होने वाला है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के आवेदन	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–83/2023

CIS No.-TS 83/2023

सोबराती मियॉ.....वादी

बनाम

हसन मियॉ.....प्रतिवादी

लगातार 19.08.2025	को स्वीकृत करते हुए वाद पत्र में संशोधन करने का आदेश देने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन दिनांक 30.05.2024 का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है और कहा गया है कि वादी का आवेदन कानून के दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज योग्य है। वादी अपने आवेदन के पैरा–01 से 06 तक बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर ब्यान किया गया है, जबकि सही तथ्यों की जानकारी वाद दाखिल करते समय ही था। वादी जानबुझकर वाद निष्पादन नहीं होने देने के नियत से संशोधन आवेदन दाखिल किया है। वादी द्वारा पैरा–05 में वाद पत्र के अनुसूची–01 में वर्णित भूमि का चौहद्दी बदलना चाहते है, परन्तु चौहद्दी के संबंध में कोई कागजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। वादी अपने प्रस्तावित संशोधन (ख) में फ्री साबुत में संशोधन करने का आग्रह किया है, जो बिल्कुल नियमानुकूल नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन (ड़) में चौहद्दी जोड़ना चाहते है, जबकि अनुसूचि–01 में पहले से चौहद्दी दर्ज है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि वादी का आवेदन अंदर आदेश 06 नियम 17 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक नहीं है, बल्कि इससे वाद की प्रकृति पूर्ण रूपेण बदल जाएगी ऐसी परिस्थिति में वादी का आवेदन न्यायहित में खारिज योग्य है। लेहाजा वादी का आवेदन खारिज नहीं किया गया तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 30.05.2024 को खारिज करने की कृपा प्रदान की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद कागजात दाखिल करने हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2022 SC	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–83/2023</u>

<u>CIS No.-TS 83/2023</u>

सोबराती मियॉ.....वादी

बनाम

हसन मियॉ.....प्रतिवादी

लगातार 19.08.2025	4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादी का आवेदन दिनांक 30.05.2024 को स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वाद पत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 04.09.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	